"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 14, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आयशा खान पति श्री युसुफ अकरम खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी सड़क एवन्यू-सी, ब्लाक नं. 5, क्वा. नं. एल, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम रसीका सालनकर पिता श्री मुकुन्द कुमार सालनकर था. मेरा विवाह दिनांक 26-10-2012 को हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती आयशा खान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती आयशा खान पति श्री युसुफ अकरम खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रसीका सालनकर पिता-श्री मुकुन्द कुमार सालनकर निवासी-सड़क एवन्यू-सी, ब्लाक नं. 5, क्वा. नं. एल, सेक्टर 6, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती आयशा खान पति-श्री युसुफ अकरम खान निवासी-सड़क एवन्यू-सी, ब्लाक नं. 5, क्वा. नं. एल, सेक्टर 6, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती जनक दुलारी साहू ध.प. स्व. चन्दन साहू, उम्र 36 वर्ष, निवासी ममता नगर, गली नं. 6, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त अंकसूची व शासकीय दस्तावेज में मेरा नाम जनक दुलारी अंकित है. विवाह बाद मेरे ससुराल वाले मेरा नाम जया साहू ध. प. चन्दन साहू रखे थे यही नाम मेरे बच्चे के शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा मेरे बैंक पासबुक में दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती जनक दुलारी साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती जनक दुलारी साहू ध. प. स्व. चन्दन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती जया साहू ध. प. स्व. चन्दन साहू निवासी-ममता नगर, गली नं. 6, राजनांदगांव (छ.ग.)	श्रीमती जनक दुलारी साहू ध. प. स्व. चन्दन साहू निवासी-ममता नगर, गली नं. 6, राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भुवनेश्वर प्रसाद ठाकुर आ. फूलसिंग उर्फ दसरू ठाकुर, जाति गोंड, आयु 40 वर्ष, निवासी-कैलाश नगर, धमधा नाका दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे शालेय प्रमाण पत्र में पिता जी का नाम फूलसिंग ठाकुर अंकित हो गया है जो गलत है जबकि मेरे पिता जी का प्रचलित नाम दसरू राम ठाकुर है. मैं अपने पिता जी का सही नाम दसरू राम ठाकुर जोड़वाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पिता जी को दसरू राम ठाकुर आ. बिसाहू ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
फूलसिंग ठाकुर आ. बिसाहू ठाकुर निवासी-कैलाश नगर, धमधा नाका दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	दसरू राम ठाकुर आ. बिसाहू ठाकुर निवासी-कैलाश नगर, धमधा नाका दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेश कुमार सावर्णी पिता श्री पद्म प्रकाश सावर्णी, उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 19/34, पो. आ.-एस. ए. एफ. लाइन, 7वीं बटालियन, छ.स.बल भिलाई, वार्ड क्र. 58, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण पत्र में किशोर कुमार सावर्णी दर्ज है तथा यही नाम उसके शाला रिकार्ड में दर्ज है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम सुधांशु सावर्णी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को सुधांशु सावर्णी पिता श्री योगेश कुमार सावर्णी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
किशोर कुमार सावर्णी पिता-श्री योगेश कुमार सावर्णी निवासी-7वीं बटालियन, छ.स. बल भिलाई, वार्ड क्र. 58, क्वा. नं. 19/34, जिला दुर्ग (छ.ग.)	सुधांशु सावर्णी पिता-श्री योगेश कुमार सावर्णी निवासी-7वीं बटालियन, छ.स. बल भिलाई, वार्ड क्र. 58, क्वा. नं. 19/34, जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बालाराम साहू आ. स्व. पूरन सिंग साहू, उम्र 59 वर्ष, निवासी-सड़क नं. 8, क्वा. नं. 14 एफ, सेक्टर 7, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बालाराम दर्ज है जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम बालाराम साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ साहू जोड़कर नया नाम बालाराम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे बालाराम साहू आ. स्व. पूरन सिंग साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बालाराम आ. स्व. पूरन सिंग साहू निवासी-क्वा. नं. 14 एफ, सड़क नं. 8, सेक्टर 7 भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) मो. नं. 9479226652	बालाराम साहू आ. स्व. पूरन सिंग साहू निवासी-क्वा. नं. 14 एफ, सड़क नं. 8, सेक्टर 7 भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) मो. नं. 9479226652

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 22 नवम्बर 2014

प्रारूप-पांच
[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उप नियम (1) देखिये]

लोक न्यास के पंजीयक डभरा, जांजगीर-चांपा जिला के समक्ष

क्रमांक/1187/अ.वि.अ./लो.न्या.पंजी./2014.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा (विहित प्राधिकारी) जिला जांजगीर-चांपा का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 12-12-2014 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम व पता : गौरीशंकर मंदिर ट्रस्ट सिंघितराई, पोस्ट सिंघितराई जिला-जांजगीर-चांपा.

(2) चल संपत्ति : निरंक

(3) अचल संपत्ति :

ख. नं.	रकबा
386	0.13
390	0.68
400	0.08
404/1	1.00
416/1	0.16
5	2.05 एकड़

(शासन द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि.)

रिता यादव
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2014

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/506/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कृपाल राम निषाद आत्मज श्री तिजऊराम निषाद ग्राम गोमची पो. तेन्दुआ विकासखण्ड धरसींवा तहसील व जिला रायपुर ने श्री हनुमान जी पवनसुत श्री हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम गोमची पोस्ट तेन्दुआ विकासखण्ड धरसींवा तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन

कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 22-12-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 07-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री हनुमान जी पवनसुत श्री हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम गोमची पोस्ट तेन्दुआ विकासखण्ड धरसींवा, तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	खसरा नं. 10, 143, 338, 383, 440/19, 452, 478, 502 रकबा क्रमश: 0.081, 0.089, 1.048, 0.761, 0.458, 0.416, 0.421, 0.866 हे.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2014

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/507/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सुबोध सिंघानिया आत्मज श्री श्याम लाल सिंघानिया साकिन 05 स्कूल रोड चौबे कालोनी रायपुर ने "लीलाधर सुभाष सिंघानिया मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" 05 स्कूल रोड चौबे कालोनी तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 23-12-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 07-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"लीलाधर सुभाष सिंघानिया मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट" 05 स्कूल रोड चौबे कालोनी तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2014

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/508/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. कमलेश अग्रवाल द्वारा "शांति फाउण्डेशन ट्रस्ट" रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 30-12-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 19-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"शांति फाउण्डेशन ट्रस्ट" रायपुर तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	01 लाख 5 हजार रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2014

प्र. क्र./ब-113 (1)/वर्ष 2014-15

क्रमांक/509/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती सुरेखा जांगड़े पति श्री रामकृष्ण जांगड़े निवासी हनुमान नगर रायपुर ने "पे बैंक सोसायटी पब्लिक ट्रस्ट" मधुबाड़ी प्लाश बिल्डर्स, ओझा सदन के सामने हनुमान नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 30-12-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 17-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"पे बैंक सोसायटी पब्लिक ट्रस्ट" मधुबाड़ी प्लाश बिल्डर्स, ओझा सदन के सामने हनुमान नगर, रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 19 नवम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/538.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/688 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत हरिजन आदिवासी खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. लिम्हाटोला पं. क्र. 2457 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री मनोज नेताम उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 19 नवम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/539.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/688 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. नवागांव पं. क्र. 2459 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एन. एल. साहू सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 19 नवम्बर 2014

[छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा/परि./2014/540.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/688 बालोद, दिनांक 11-12-2013 के तहत शिवा मजदूर सहकारी समिति मर्या. महामाया पं. क्र. 2494 को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री रितेश तांडी उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्रमांक/परि./2014/2394.—सिंधु थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्या. जरहाभाटा, सिंघी कालोनी बिलासपुर, पं. क्र. 310 दिनांक 26-07-2012 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2094 दिनांक 20-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत सिंधु थ्रिफ्ट साख सहकारी समिति मर्या. जरहाभाटा, सिंधी कालोनी बिलासपुर, पं. क्र. 310 दिनांक 26-07-2012 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री डी. बी. ढारगवे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 30 मार्च 2014

क्रमांक/उपं. दु./परिसमापन/2014/528.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/472 दिनांक 22-03-2014 के द्वारा श्री जय बजरंग उत्खनन सहकारी समिति मर्या. पाटन पं. क्र.-2313 संस्था का परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी पाटन को नियुक्त किया गया था. श्री एच. आर. चन्द्राकर का पदोन्नति पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. रायपुर हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री अनिश दीवान, उप अंकेक्षण दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

डी. एल. राम,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.